

मई दिवस संदेश

भाइयो, बहिनो, मित्रो और साथियो,

1 मई को "श्रमिक दिवस" है। यह महान अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व को छोड़कर, पृथ्वी पर ऐसा कोई दूसरा पर्व नहीं है, जो विश्व के सभी राष्ट्रों में मनाया जाता हो। पूरे विश्व की उस पूरी मानव जाति के लिए, जो ईमानदारी से कमाती खाती है, विश्व में दौलत पैदा करने के लिए मानसिक अथवा शारीरिक श्रम करती है, तथा लूट-खसोट करने वालों की साजिशों और तिकड़मों का सामूहिक रूप से मुकाबला करती है, इस महान अंतर्राष्ट्रीय पर्व "मई दिवस" को पूरे हर्षोल्लास और जोशो-खरोश के साथ मनाती है।

इसलिए, बी एस एन एल की लगभग तीन लाख मानव शक्ति की पूरी बिरादरी के सर्वोच्च मंच "संयुक्त संघर्ष समिति" (जे ए सी) ने आह्वान किया है कि, मई दिवस के कार्यक्रमों का संयुक्त रूप से आयोजन करें। चूंकि इस साल मई दिवस (1 मई) को रविवार है, इसलिए "संयुक्त संघर्ष समिति" (जे ए सी) ने अपनी 27-04-2011 की मीटिंग के माध्यम से यह संदेश दिया है कि, मई दिवस के कार्यक्रमों को आयोजन संयुक्त रूप से 2 मई 2011 को आयोजित कर सकते हैं।

हम, बी एस एन एल में, मानसिक एवं शारीरिक श्रम करने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को "मई दिवस" 2011 के अवसर पर बधाई देते हैं एवं आह्वान करते हैं कि, इस महान अंतर्राष्ट्रीय पर्व को संयुक्त रूप से मनावें तथा इस दिवस पर मीटिंग, रैली सहित जो भी सम्भव हो, कार्यक्रमों का आयोजन करें। यदि स्थानीय स्तर पर अन्य विभागों एवं क्षेत्रों की यूनियनों के साथ संयुक्त रूप से 1 मई को ही, मई दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तो, उन संयुक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर ही "मई दिवस" का त्यौहार एक मई को ही मनावें।

जैसा कि आप जानते हैं कि, इस साल मई दिवस की 125 वीं वर्षगांठ है। आप यह भी जानते हैं कि, 125 साल के पहिले के विश्व से उसके बाद का विश्व बिल्कुल भिन्न है। इतिहास इस बात का गवाह है कि, अब से 125 साल पहिले का विश्व, मानसिक एवम् शारीरिक, दोनों ही प्रकार का श्रम करने वालों के लिए बहुत ही संवेदनहीन एवं भयावह था। उस समय तक न तो कोई काम के घंटे निर्धारित थे और न ही कोई श्रम कानून थे। काम पर रखने वाला ही, काम करने वालों का भाग्य विधाता था। उस समय के मेहनतकशों ने अपनी कहानियों का बयान करते हुए बताया है कि, वे अपने बच्चों को 8-10 साल की उम्र तक खेलते खाते नहीं देख पाते थे, क्योंकि सूर्य निकलने के पहिले वे काम पर निकल जाया करते थे, तब उनके बच्चे सोये हुए रहते थे। ठीक इसी प्रकार जब वे देर शाम (रात में) अपने काम से वापिस आते थे तो उनके बच्चे सो जाया करते थे। ऐसा था, 125 साल पहिले का भयावह एवं दुर्दान्त विश्व। किन्तु, मई 1886 के बाद का विश्व, जिसमे कि हम और आप रह रहे हैं, एकदम भिन्न है। आज काम के घंटे (8 घंटे का कार्य दिवस) भी कानूनी रूप से निर्धारित है, श्रम कानून भी हैं तथा सामूहिक सौदेबाजी